

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-74ए/2012

संस्थापन दिनांक-25.06.2012

1-श्रीमति हिरकनबाई जौजे स्व. नानाजी, उम्र 60 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-खुशीलाल पिता स्व. नानाजी, उम्र 35 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-महेश पिता स्व. नानाजी, उम्र 32 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादीगण

विरुद्ध

1-लूकराम पिता स्व. जोगीलाल, उम्र 29 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-तेजेन्द्र पिता स्व. जोगीलाल, उम्र 26 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-अमरलाल पिता स्व. जोगीलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-इमरतलाल पिता स्व. जोगीलाल, उम्र 45 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-खापा, पोस्ट कलेगांव, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-म.प्र.शासन तर्फे कलेक्टर,
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-27/08/2014 को घोषित)

1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा खापा, प.ह.नं. 15/33, रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 57/1, 57/4, रकबा क्रमशः 4.44, 3.00 एकड़ भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 को प्रभावशून्य एवं 5.54 एकड़ भूमि पर स्वत्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी क्रमांक-1 के पति व वादी क्रमांक-2 व 3 के पिता स्वर्गीय नानाजी के बड़े भाई स्वर्गीय जोगीलाल थे। स्वर्गीय जोगीलाल के पुत्रगण प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 हैं।

3- वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की मौजा खापा, प.ह.न. 15/33, रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 57/1, 57/4, रकबा क्रमशः 4.44, 3.00 एकड़ भूमि पर दिनांक-22.06.2012 को प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 जबरन जुताई करने का प्रयास करने लगे, जिस पर वादीगण ने उन्हें रोका तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा जबरन वादीगण की उक्त भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण ने उनके आधिपत्य की खसरा नम्बर 57/1, 57/4, रकबा क्रमशः 4.44, 3.00 एकड़ भूमि पर वादपत्र के वाद नक्शा में उल्लेखित अ, ब, स, द, य, र वाले भू-भाग पर हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने जवाबदावा में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार कर यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि उनकी हक मालिकी की भूमि है, जिस पर वे अपने पिता के जीवनकाल से शांतिपूर्वक काबिज कास्त हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के

आधिपत्य वाली भूमि पर हस्तक्षेप नहीं किया है। वादीगण का वाद निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 का प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष तुलाराम ने अपनी 16.32 एकड़ भूमि को सन् 1977 में संशोधन क्रमांक 53/2 संशोधन दिनांक-09.01.1977 के माध्यम से अपने जीवनकाल में उसके तीनों पुत्रों नानाजी, जोगीलाल और भगताराम के बीच तीन बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया था। स्वर्गीय तुलाराम के तीनों पुत्रों को प्रत्येक के हिस्से में 5.44 एकड़ भूमि प्राप्त हुयी। मूल पुरुष तुलाराम ने उसकी भूमि में से कोई भी भूमि भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर को दान में नहीं दिया। संशोधन पंजी क्रमांक-81 दिनांक-15.09.1979 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। वादीगण को प्रतिवादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने 5.44 एकड़ भूमि का मालिक घोषित किये जाने, संशोधन पंजी क्रमांक-81 दिनांक-15.09.1979 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं वादीगण के विरुद्ध हस्तक्षेप से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

6— वादीगण ने प्रतिदावा के अभिवचन से इकार कर जवाबदावा में अभिवचन किया है कि स्वर्गीय तुलाराम ने दिनांक-22.01.1975 के पूर्व खसरा नम्बर 57 रकबा 16.32 एकड़ भूमि में से 3.00 एकड़ भूमि का भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर को दान कर दिया था, किन्तु दिनांक-22.01.1975 को निष्पादित विभाजन पत्र में उक्त दान में दी 3.00 एकड़ भूमि को त्रुटिपूर्ण समाहित कर दिया था। भूदान वाली खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि दिनांक-23.01.1968 को नानाजी को पट्टे में प्राप्त हो गयी थी, जिस पर वह स्वतंत्र रूप से काबिज कास्त चला आया तथा नानाजी की फौत उपरांत उसके वारसान वादीगण काबिज कास्त चले आ रहे हैं। मूल पुरुष तुलाराम ने उसकी भूमि में से 3.00 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर को दान में दिया, जिसका संशोधन पंजी क्रमांक-56 दिनांक-13.05.1977 में इन्द्राज किया गया था। नानाजी को प्राप्त 3.00 एकड़ भूमि का संशोधन पंजी क्रमांक-81,

दिनांक-15.09.1979 में इन्द्राज किया गया था। उक्त की जानकारी नानाजी के सभी भाईयों को थी, जिसका कभी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। जोगीलाल को प्राप्त 4.44 एकड़ भूमि में से जोगीलाल ने अपने जीवनकाल में 1.00 एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया तथा शेष 3.44 एकड़ भूमि पर जोगीलाल की फौत उपरांत प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 को स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त हुआ। प्रतिदावा में आवश्यक पक्षकार का असंयोजन होने तथा प्रतिदावा अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जावे।

7— प्रतिवादी क्रमांक-5 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

8— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा खापा, प.ह.नं. 15/33 स्थित खसरा नम्बर 57/1 व खसरा नम्बर 57/4 रकबा क्रमशः 4.44 व 3.00 एकड़ भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 को मौजा खापा प.ह. नं. 15 में स्थित खसरा नम्बर 57 रकबा 16.32 में से 5.44 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है ?	अंशतः प्रमाणित, केवल 3.44 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।
4	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 की आधिपत्य की भूमि पर वादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है?	प्रमाणित नहीं
5	क्या प्रतिदावा, आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से दूषित है ?	प्रमाणित नहीं
6	क्या प्रतिदावा अवधि बाधित है ?	प्रमाणित नहीं
7	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—**वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

9— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के खसरा नम्बर 57/2, 57/5 व 57/3 के खसरा फार्म वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 पेश किया है। संशोधन पंजी दिनांक-16.03.1999 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 का अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जोगीलाल ने खसरा नम्बर 13/5, 14/44, 57/2 की भूमि पर अपने साथ पत्नि भेजनबाई का नाम भी शामिल सरीक खाते में दर्ज कराया है। संशोधन पंजी दिनांक-02.04.1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा नम्बर 57/2 में से 1.00 एकड़ भूमि राजकुमारी ने जोगीलाल से क़य कर अपना नाम दर्ज कराया है। संशोधन पंजी दिनांक-13.05.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अनुसार खसरा नम्बर में से 3.00 एकड़ भूमि तुलाराम ने भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर को दान में दी है। संशोधन पंजी दिनांक-15.09.1979 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 में खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर के द्वारा कच्चा पट्टा देने के कारण नानाजी वल्द तुलाराम के नाम पर दर्ज होने का उल्लेख है।

10— संशोधन पंजी दिनांक-12.06.1968 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8 में खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि अन्य भूमि के साथ भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर के नाम पर दर्ज होना प्रकट होती है। इस प्रकार खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि पूर्व में भूदान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर के नाम पर दर्ज होने और उसके उपरांत वही भूमि संशोधन पंजी दिनांक-15.09.1979 के अनुसार नानाजी वल्द तुलाराम के नाम पर दर्ज होना प्रकट होती है, जबकि संशोधन पंजी दिनांक-13.05.1977 के अनुसार तुलाराम के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ मण्डल को दान में दिये जाने का उल्लेख है, जो कि संदेहास्पद प्रकट होता है, क्योंकि तुलाराम के पास उक्त भूमि को दान किये जाने हेतु स्वत्व प्राप्त नहीं था। तुलाराम के स्वत्व में खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि संशोधन पंजी दिनांक-15.09.1979 के पूर्व किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका कोई आधार प्रकट नहीं होता और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है।

11— खुशीलाल (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जितनी भूमि पर

उनके पिताजी काशत करते थे उतनी ही भूमि पर वे लोग काशत करते हैं तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर प्रतिवादी काशत करते हैं। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि कच्चा पट्टा प्रदर्श पी-14 में पट्टे का क्रमांक अंकित नहीं है और न ही उसमें भूमि की सीमाएँ और रकबा का उल्लेख है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त पट्टा जारी करने वाले कार्यालय की सील भी नहीं लगी हुई है। इस प्रकार साक्षी ने भूदान यज्ञ मण्डल के कथित पट्टा प्रदर्श पी-14 के असल दस्तावेज होने के प्रमाण के संबंध में प्रकट संदेहास्पद परिस्थिति को साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

12— वादीगण ने अपने अभिवचन में विवादित भूमि के विभाजन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी है कि कथित विभाजन कपट पूर्वक, मिथ्यापूर्ण या कूटरचित है। वास्तव में वादीगण के द्वारा विभाजन पत्र को प्रभावशून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहे बगैर मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। खुशीलाल (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिताजी एवं भाईयों के बीच बंटवारा हुआ था। साक्षी का स्वतः कथन है कि बंटवारा त्रुटिपूर्ण था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त त्रुटिपूर्ण बंटवारा को निरस्त करने के लिए उसके पिता एवं उन्होंने कोई प्रकरण पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण ने वाद में कथित बंटवारा त्रुटिपूर्ण होने का अभिवचन एवं साक्ष्य पेश की है, किन्तु उक्त बंटवारा को प्रभावशून्य या निरस्त किये जाने का अनुतोष की मांग नहीं की है। प्रतिवादीगण की ओर से पंजीकृत विभाजन पत्र प्रदर्श डी-1 पेश किया गया है। उक्त विभाजन पत्र उभयपक्ष के मध्य प्रभावशील होने और उसी अनुसार उभयपक्ष विभाजित भूमियों पर काबिज काशत होना प्रकट होते हैं।

13— रुचि प्रसाद (वा.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 57/1, 57/4 रकबा क्रमशः 4.44, 3.00 एकड़ भूमि पर काबिज होने के कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि लुकराम वगैरह किस खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज काशत है, उसे मालूम नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बंटवारे में कितनी भूमि आयी है, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गई है, जिस कारण उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।

14— अमरलाल (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं। साक्षी ने अपने पक्ष समर्थन में विभाजन पत्रक दिनांक-22.01.1975 की मूल प्रति प्रदर्श डी-1, संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-11.01.1980 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2, संशोधन पंजी क्रमांक-53/2, दिनांक-16.02.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-3, ग्रामवासियों के समक्ष बनाया गया पंचनामा प्रदर्श डी-4, वादग्रस्त भूमि का अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 पेश की है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि स्वर्गीय नानाजी की फौति उपरांत उनकी भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि 5.44 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि खसरा नम्बर 57/1 व खसरा नम्बर 57/4 रकबा क्रमशः 4.44 व 3.00 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है।

15— प्रकरण में महत्वपूर्ण रूप से विभाजन पत्र प्रदर्श डी-1 विचारणीय है, जिसमें तुलाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में तीनो पुत्रो नानाजी, जोगीलाल व भगत और स्वयं के मध्य खसरा नम्बर 57 रकबा 16.32 एकड़ भूमि का अन्य भूमियों के साथ विभाजन किया था। उक्त विभाजन में खसरा नम्बर 57 में से तीनो पुत्रो प्रत्येक को 5.44 एकड़ भूमि का अंश दिये जाने का उल्लेख है। उक्त विभाजन पत्र दिनांक-22.01.1975 को निष्पादित होकर विधिवत् पंजीबद्ध किया जाना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विभाजन पत्र को पश्चात् में उसके पक्षकारों के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है तथा उक्त विभाजन पत्र के अनुसार सभी खातेदार अपने-अपने अंश पर काबिज काशत चले आ रहे हैं। ऐसी दशा में न केवल तुलाराम के तीनो पुत्रो नानाजी, जोगीलाल व भगत पर उक्त विभाजन पत्र बंधनकारी है, बल्कि नानाजी के वारसान के रूप में वादीगण पर भी उक्त विभाजन पत्र बंधनकारी है। विभाजन पत्र प्रदर्श डी-1 के अनुसार सभी खातेदार उनकी भूमि पर काबिज काशत होना प्रकट होते हैं, इस कारण उभयपक्ष पर उक्त विभाजन के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-115 के प्रावधान अंतर्गत विबंध का सिद्धांत लागू होता है। उभयपक्ष उक्त विभाजन के अनुसार लम्बे समय से विभाजन में प्राप्त भूमियों पर काबिज काशत होने एवं उसे चुनौती नहीं दिये जाने के कारण उभयपक्ष पर पंजीकृत बंटवारा बंधनकारी है। इस प्रकार तुलाराम के वारसान के रूप में वादीगण अपने कार्य एवं आचरण से विभाजन के कथित त्रुटिपूर्ण होने के अभिवचन एवं कथन करने से विबंधित है।

16— वादीगण ने मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वास्तव में उक्त विभाजन को चुनौती देते हुए पेश किया है, जबकि विभाजन पत्र को प्रभावशून्य या निरस्त किये जाने के संबंध में घोषणात्मक अनुतोष की मांग नहीं की है। ऐसी दशा में वादीगण का मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रचलन योग्य नहीं है। जहाँ तक स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रश्न है, वादीगण ने यह प्रमाणित नहीं किया है, कि विभाजन पत्र के अनुसार वादीगण को प्राप्त अंश वाली भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। स्वयं वादीगण ने विभाजन में प्राप्त उनके अंश से अधिक भूमि पर उनके काबिज काश्त होने के आधार पर निषेधाज्ञा की मांग की है। वादीगण का दावा स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है। उक्त सभी कारण से वादीगण का दावा प्रचलन योग्य नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

17— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि उनको मौजा खापा प.ह.नं. 15 में स्थित खसरा नम्बर 57 रकबा 16.32 में से 5.44 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विभाजन पत्र प्रदर्श डी-1 पेश कर प्रमाणित किया है। उक्त विभाजन पत्र के अनुसार तुलाराम के जीवनकाल में उसके तीनों पुत्रों नानाजी, जोगीलाल व भगत के मध्य विवादित खसरा नम्बर 57 रकबा 16.32 में से 5.44 एकड़ भूमि प्रत्येक को विभाजन में प्राप्त होने का तथ्य प्रमाणित है। ऐसी दशा में स्वर्गीय जोगीलाल को मूल खसरा नम्बर 57 में से 5.44 एकड़ भूमि विभाजन में प्राप्त हुयी थी। वादीगण ने यह तर्क पेश किया है कि जोगीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त विभाजन में प्राप्त 5.44 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया था। वादीगण ने उक्त विक्रयपत्र को पेश नहीं किया है, किन्तु प्रतिवादी अमरलाल (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वतः कथन किया है कि जोगीलाल ने 5.44 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि राजकुमारी को विक्रय किया था और शेष 4.44 एकड़ भूमि पर जोगीलाल ने अपनी पत्नि का नाम शामिल सरीक नाम दर्ज करवाया था। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन पंजी दिनांक 16.3.99 प्रदर्श पी-4 में जोगीलाल की सहमति के आधार पर खसरा नम्बर 57/2 रकबा 3.44 एकड़ भूमि उसकी पत्नि भेजनबाई के नाम शामिल सरीक रूप से दर्ज होने का उल्लेख है।

18— प्रतिवादीगण की ओर से दावाकृत भूमि का वर्तमान का राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है। यद्यपि वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा फार्म वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 एवं संशोधन पंजी दिनांक-16.3.1999 प्रदर्श पी-4 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि खसरा नंबर 57/2 रकबा 1.391 हेक्टेयर भूमि अर्थात् 3.44 एकड़ भूमि पर जोगीलाल का नाम दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने मूल खसरा नंबर 57 के कुल रकबा 16.32 में से 5.44 एकड़ पर स्वत्व का दावा बढ़ा-चढ़ाकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पेश किया है। वास्तव में उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के आधार पर जोगीलाल के वारसान के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 को मात्र खसरा नंबर 57/2 रकबा 1.391 हेक्टेयर भूमि अर्थात् 3.44 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने अंशतः प्रमाणित किया है कि उनका मूल खसरा नंबर 57 में से विभाजन उपरांत जोगीलाल को प्राप्त अंश में से शेष बचे रकबे खसरा नंबर 57/2 रकबा 1.391 हेक्टेयर भूमि अर्थात् 3.44 एकड़ भूमि पर ही स्वत्व प्राप्त है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-3 'अंशतः प्रमाणित', केवल 3.44 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

19— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य है। प्रस्तुत संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 के संबंध में पूर्व में विवेचना की जा चुकी है कि तुलाराम को उसके स्वत्व में खसरा नम्बर 57/4 रकबा 3.00 एकड़ भूमि संशोधन पंजी दिनांक-15.09.1979 के पूर्व किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका कोई आधार प्रकट नहीं होता और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत कथित भूदान यज्ञ मण्डल का कच्चा पट्टा प्रदर्श पी-14 के आधार पर नानाजी को स्वत्व प्राप्त होने का दावा किया गया है, किन्तु उक्त दस्तावेज को लोक दस्तावेज नहीं होने से विधिक रूप से प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता थी। कथित कच्चा पट्टा प्रदर्श पी-14 में उल्लेखित भूदान यज्ञ मण्डल के अस्तित्व में होने का प्रमाण पेश नहीं है और न ही कथित पट्टाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील अंकित है। वादीगण ने कथित अंतरण के दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया है। यद्यपि वादीगण ने उक्त संशोधन पंजी के आधार पर कथित भूमि पर स्वत्व की मांग भी नहीं की है। इस कारण

कथित अंतरण के आधार पर की गयी संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 अवैध होने की अधिसंभावना प्रकट होती है। उक्त संशोधन पंजी के आधार पर वादीगण को कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। अतएव यह प्रमाणित है कि संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-2 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण:-

20— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 की आधिपत्य की भूमि पर वादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावा में वादीगण के द्वारा उनके आधिपत्य की भूमि में कब्जा करने के प्रयास किये जाने के अभिवचन कर वादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अमरलाल (प्र.सा.1) ने प्रतिवादीगण के आधिपत्य वाली 5.44 एकड़ भूमि पर वादीगण के द्वारा कथित रूप से हस्तक्षेप करने के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिवादी की ओर से अन्य साक्षी रेखचंद (प्र.सा.2), भगताराम (प्र.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के आधिपत्य वाली भूमि पर कथित हस्तक्षेप करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 की आधिपत्य की भूमि पर वादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-4 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण:-

21— यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि प्रतिदावा, आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से दूषित है। प्रतिवादीगण ने यह प्रतिदावा विवादित भूमि पर उनके स्वत्व को वादीगण के द्वारा चुनौती दिये जाने के आधार पर पेश किया है तथा प्रकरण में यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 57 में से 5.44 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के पिता जोगीलाल को बंटवारे में प्राप्त हुई थी और उक्त बंटवारे के अनुसार जोगीलाल की फौत उपरांत प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त हुआ। प्रकरण में यह प्रमाणित है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के स्वत्व को चुनौती दी है। ऐसी दशा में मात्र चुनौती

दिये जाने वाले पक्षकार अर्थात् वादीगण के अलावा अन्य किसी को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रतिवादीगण के एकल स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को केवल वादीगण ने चुनौती दिये जाने से वादीगण के अलावा अन्य किस व्यक्ति के द्वारा चुनौती दी गई, इसे वादीगण ने प्रमाणित नहीं किया है। वाद की प्रकृति के अनुसार प्रतिदावा में आवश्यक पक्षकार का असंयोजन होना प्रकट नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-5 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-6 का निराकरण:-

22— यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि प्रतिदावा अवधि बाधित है। प्रतिवादीगण ने प्रतिदावा का वाद कारण दिनांक-17.07.2012 को तब उत्पन्न होना प्रकट किया है जब उन्हें संशोधन पंजी दिनांक-15.09.1979 की नकल प्राप्त हुई। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर मुख्य रूप से पूर्व के विभाजन को चुनौती देते हुए यह वाद पेश किया है। वादीगण के अभिवचन के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा उनके स्वत्व की भूमि के संबंध में घोषणात्मक अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रतिदावा पेश किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा प्रकट किये गये वाद कारण से प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 का प्रतिदावा विहित समयावधि के भीतर पेश किया जाना प्रकट होता है। वादीगण यह प्रमाणित करने में यह असफल रहे हैं कि प्रतिदावा अवधि बाधित है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-6 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

23— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने प्रतिदावा आंशिक रूप से प्रमाणित किया है। अतएव वादीगण का दावा निरस्त करते हुए तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 का प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद में निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :-

- (1) वादीगण का प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के विरुद्ध मौजा खापा, प.ह.नं. 15/33 रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 57/1 व खसरा नम्बर 57/4 रकबा क्रमशः 4.44

व 3.00 एकड़ भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा निरस्त किया जाता है।

(2) यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 को मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 57/2 रकबा 3.44 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।

(3) संशोधन पंजी क्रमांक-81, दिनांक-15.09.1979 त्रुटिपूर्ण होने से प्रभावशून्य है।

(4) उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर